संचिका सं०-15/औ०-14-09/2022

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

श्री जितेन्द्र कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ) के विरूद्ध रू०-1,59,21,651/- (एक करोड़ उन्नसठ लाख एक्कीस हजार छः सौ एकावन रूपये) आय से अधिक चल एवं अचल संपति के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-30/2022 दिनांक-24.06.2022 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(बी)भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज है एवं सरकारी पद पर कार्य करते हुए पद का भ्रष्ट उपयोग एवं बिहार कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, गोला रोड, पटना (निजी संस्था) के अवैध रूप से निदेशक के पद पर कार्यरत रहने तथा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में बिना योगदान किये ही अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपो के लिए श्री कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प सं०-626(15), दिनांक-04.07.2022 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत् विभागीय संकल्प संख्या-740(15), दिनांक-08.08.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. निलंबनादेश की सूचना श्री जितन्द्र कुमार के ई-मेल आई०डी० पर भी भेजे जाने के बावजूद उनके द्वारा निलंबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय (क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का कार्यालय) में योगदान नही किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के दौरान दिनांक-11.08.2022, 25.08.2022 एवं 02.12.2022 तीनों तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने पर संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री कुमार के विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु दिनांक-04.12.2022 को सामाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया, परंतु वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष (स्वास्थ्य विभाग के कमरा सं०-194) कभी उपस्थित नही हुए। श्री कुमार द्वारा मात्र दिनांक-09.12.2022 एवं 13.12.2022 को विभागीय वितरण शाखा मे हस्ताक्षरित पत्र समर्पित किया गया, जिससे न तो उनका मोबाईल नम्बर, न पत्रांचार/स्थायी पता तथा न ही ई-मेल आई०डी० अंकित था, ताकि विभाग द्वारा उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन/अधिगम में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोप/आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

5. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–354(15), दिनांक–11.04.2023 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक–17.04.2023 को द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम/जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर पर सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(xi) के संगत नियमों के तहत् **'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'** का शास्ति/दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

7 अधिरोपित शास्ति/दंड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–254, दिनांक–25.04.2024 एवं पत्रांक–429, दिनांक–07.05.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है तथा दिनांक–03.06.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–24 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

8. अतएव श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–05 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, पूर्णियाँ मंडल, पूर्णियाँ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(xi) के संगत नियमों के तहत् **'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'** का शास्ति/दंड संसूचित किया जाता है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी मूल प्रति श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–05 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(कृष्णा उरॉव)
उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–15/औ०–14–09/2022...708(15)...पटना, **दिनांक–...10/06/...2025**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी प्रदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

c:\users\acer\desktop\drug\drug 1.docx

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, पटना एवं पूर्णियाँ/पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/ सिविल सर्जन, पटना एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/उप औषधि नियंत्रक, पटना एवं पूर्णियाँ/सहायक औषधि नियंत्रक, पटना एवं पूर्णियाँ एवं अन्य संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–05 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (पत्राचार का पता– ग्राम + पोस्ट– हुलासगंज, जिला– जहानाबाद, पिन नं०–804407) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/06/2025

सरकार के उप सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

c:\users\acer\desktop\drug\drug 1.docx